फर्द अहकाम

(नियम 26)

वाद जीसीएमएस नंबर 2023/242 बअनवान मोहन सिंह बनाम स्व0 रामदयाल के का0मु0 मुकेश गाडन वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री गणपत लाल चौधरी उपस्थित प्रतिवादी सं0 2 के कायम मुकाम के अधिवक्ता श्री रतन लाल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के समस्त कायम मुकाम वकालतन/असालतन अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का आद्योपान अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण मे यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम धाणदा के खसरा नंबर 117 रकबा 0.86 हैक्टर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के खातेदारी की भूमि रही है। उक्त भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को दिनांक 22.02.2009 के द्वारा 3630 वर्गफीट भूमि यानि 337.36 वर्गमीटर यानि 0.0337 हैक्टर भूमि वादी द्वारा प्रतिफल राशि 50000/– रूपये अदा कर खरीद की। परन्तु खरीदशुदा भूमि का माफिक बेचान रजिस्ट्री नामान्तरण नहीं होने से वादी द्वारा उक्त वाद वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित लाल रंग के भू भाग का खातेदार घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्व सार्वकालिक निषेद्याज्ञा की मांग की है। जिसका प्रतिवादी सं0 2 के समस्त कायम मुकाम की ओर से स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया गया है। तथा प्रतिवादी सं0 1 के समस्त कायम मुकाम के बावजुद पर्याप्त समय अवसर के न्यायालय में वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है, जिससे माफीक बेचान रजिस्ट्री जो पुस्तक स0 1 जिल्द स0 14 में पृष्ठ सं0 145 क्र0 सं0 2009002746 पर उपपंजियक बाली के कार्यालय में पंजिबद्व किया गया है, के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायसंगत है जहा तक विशेष भू भाग का खातेदार दर्ज किये जाने का प्रश्न है, इसका भी विनिश्चयन विभाजन के पश्चात ही तय होगा, जिससे विशेष भू भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता। अतः वादग्रस्त भूमि ग्राम धाणदा के खसरा न0 117 कुल रकबा 0.86 हैक्टर में से वादी को 110*33*33=3630 वर्गफीट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत माफिक विक्रय विलेख दिनांक 22.09.2009 के खातेदार घोषित किया जाता है। वादी के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलअदांजी नही करें। इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेद्याज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का मोखमपुरा आदेशानुसार रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना सुनिश्चित करें। इसी कदर डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

1–मोहनसिंह पुत्र उमरदाजनी आयु 69 वर्ष, जाति चारण निवासी धाणदा तहसील बाली :–

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1–स्व0 रामदयाल पुत्र हिम्मतदानजी के का0 मु वारिस
1/1. मुकेश गाडन पुत्र रामदयालजी, उम्र 38 वर्ष
1/2. अशोक कुमार पुत्र रामदयालजी, उम्र वर्ष
1/3 श्रीमती कल्याणकंवर पत्नि रामदयालजी उम्र 60 वर्ष
2. स्व0 रघुनाथदान पुत्र देवीदानजी के का0 मु0 वारिस
2/1 मधुकंवर पुत्री रघुनाथदान आयु बालिग
2/2 मन्जुकंवर पुत्री रघुनाथदान आयु बालिग
2/3 छोटुकंवर रघुनाथदान आयु बालिग
2/4 जडावकंवर पत्नि रघुनाथदान आयु बालिग
तमाम जाति से चारण, निवासीगण धाणदा तहसील– बाली जिला पाली(राज0)
3– राजस्थान सरकार भुमिधारी जरिये प्रतिनिधी तहसलीदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2023/242

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम धाणदा के खसरा न0 117 कुल रकबा 0.86 हैक्टर में से वादी को 110*33*33=3630 वर्गफीट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत माफिक विक्रय विलेख दिनांक 22.09.2009 के खातेदार घोषित किया जाता है। वादी के नाम घोषित की जा रही खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण दखलअदांजी नही करें। इस हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत सार्वकालिक निषेद्याज्ञा की डिक्री जारी की जाती है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-10-25 को जारी किया गया।

मोहर

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली